an>

Title: Need to make available the agreement papers of agricultural loan in Hindi or local languages for benefit of farmers.

श्री पृतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष जी, मैं आज शून्यकाल के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं किसानों को दिए जाने वाले कृÂिष ऋण में बैंक किसानों के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, वे एग्रीमेंट अंग्रेजी भाषा में होते हैं, जबकि लगभग सभी किसान अंग्रेजी भाषा को समझ नहीं सकते। उस एग्रीमेंट पर बैंक अधिकारी किसानों के हस्ताक्षर करवा लेते हैं और किसान मजबूरी में उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। एग्रीमेंट की मुख्य बातें किसानों की समझ में नहीं आती हैं, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा बनाई गई उपरोक्त कृषि ऋण योजना के नियमों की जानकारी किसानों को नहीं मिल पाती है। कृषि ऋण का एग्रीमेंट पेपर हिन्दी या स्थानीय भाÂषा में होना चाहिए, जिससे किसान्क कृषि ऋण योजना को अच्छी तरह से जान सकें और अपने हक को प्राप्त कर सकें। नियमों को न जानने से कृÂिा ऋण में सरकार से जो रियायत मिलती है, किसान उससे वंचित रह जाते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात समझ में आ गयी है कि स्थानीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल ।

श्री पृतापराव जाधव (बुलढाणा) : अध्यक्ष जी, यह कृषि ऋण किसानों को बुवाई के समय से पहले दिया जाना चाहिए, जिससे किसान अपनी कृषि लागत का भुगतान कर सकें। बुवाई के समय कृषि ऋण नहीं मिलने पर किसानों को साहूकारों से ऊंची दर पर ऋण लेना पड़ता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात आ गयी है। अब क्या कहना है?

ठीक है, संक्षेप में बोलिए।

श्री पृतापराव जाधव: अध्यक्ष जी, उससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कृषि ऋण एग्रीमेंट स्थानीय भाÂाा में होना चाहिए और वहां जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री अश्विनी कुमार चौबे को श्री पृतापराव जाधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।